



बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अंचल अधिकारी का कार्यालय
 Ekma, Saran
आदेश

Dublicate Copy
 23/01/2025

जिला : Saran **अंचल :** Ekma
दाखिल खारिज केस संख्या : 1516 **वित्तीय वर्ष :** 2021 - 2022

तिथि
 12-Nov-2021

आदेश पर की
 गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा छित्रवलिया, थाना सं० 160

खाता सं०	प्लॉट/खेसरा सं०	रकबा
560	386	0 एकड़.3.53 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
RAMSUBHAG RAY	पिता/बाप/अबू	SHRAWAN RAY

है। जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 1029, दिनांक- 1965-02-25 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
सहदेव राय	पिता/बाप/अबू	

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

प्रस्तुत नामान्तरण वाद के निमित्त आम एवं खास सुचनोप्रांत किसी भी प्रकार का आपत्ति दर्ज नहीं है, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार प्रश्रगत भूमि पर आवेदक का शांति पूर्ण दखल कब्जा है, राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा दाखिल खारिज को स्वीकृत करने कि अनुशंसा कि गई है, स्वीकृति दी जाती है, और यह स्वीकृति आदेश सिर्फ राजस्व वसूली के उदेश्य से दी गई है, इस आधार पर आवेदक के द्वारा स्वत्व का दावा नहीं किया जा सकेगा, आदेश से क्षुब्ध पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है,

अतः वार्षिक लगान **10 रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह० कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by :
KUMARI SUSHMA
अंचलाधिकारी
Ekma